REGD. NO. D. L.-33004/99.

HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 1135] No. 1135] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

का.आ. 1358(अ).—जबिक यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2010 के सं. का.आ. 1944(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें, उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

- 2. जबिक प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और
- 3. जबिक केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :-

जोन 'एफ' में निम्नलिखित क्षेत्रों के भूमि उपयोग को नीचे दिए गए विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है :-

क्र.सं.	अवस्थिति	भूमि उपयोग में परिवर्तन	स्थल निम्नलिखित से घिरा हुआ है
- 1	2	3	4
1.	सेक्टर—10, आर.के.पुरम में 0.39 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	एवं अर्ध—सार्वजनिक' (समाज सदन)	दक्षिण :- सी आर पी एफ कैम्प, बाल बसेरा एवं सी एन जी स्टेशन । पश्चिम:- सुविधा बाजार के लिए निर्धारित खाली पड़ी भूमि । पूर्व:- 9 मीटर चौड़ी सड़क । उत्तर:- 9 मीटर चौड़ी सड़क ।
2.	मस्जिद मोठ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की 12.99 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध—सार्वजनिक' (पी एस—I, अस्पताल)	उत्तर:— 18 मीटर चौड़ी सड़क । दक्षिण:— आंशिक रूप में निर्मित मकान और आंशिक रूप से 18 मीटर चौड़ी सड़क पूर्व:— विद्यमान 18.0 मीटर चौड़ी सड़क पश्चम:— नाले से सटी हुई 18 मीटर चौड़ी सड़क
3.	एन एच-2 (मथुरा रोड) पर मोलड़ बंद के निकट 4.19 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध—सार्वजनिक' (पी एस—I, अस्पताल)	उत्तर :— आवासीय एवं रेलवे लाइन दक्षिण:— आवासीय पूर्व:— आवासीय पश्चिम :— एन एच—2(मथुरा रोड)
4.	अम्बेडकर नगर के समाज सदन (व्यावसायिक) में अस्पताल के लिए 1.0 हैक्टे. भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक' (पी.एस.—I,	उत्तरःसमाज सदन(व्यावसायिक) दक्षिणःविद्यमान आवासीय क्षेत्र पूर्वः पुनर्विकसित क्षेत्र पश्चिमः विद्यमान आवासीय क्षेत्र
5.	विद्यमान मीठापुर सड़क को 60 मी. मार्गाधिकार तक चौड़ा करते हुए विद्यमान एन.टी.पी.सी. परिसर के दक्षिण की	'सुविधाएं' (पावर प्लांट) 3.5 हैक्टेयर एवं 'आवासीय'(जिला पार्क)	सीमा है :— उत्तर : एन.टी.पी.सी. की चार— दीवारी और मोलड बंद का

	तरफ जैतपुर रोड के साथ दि.मु.यो.—2021 की प्रस्तावित 90 मी.चौड़ी सड़क में संरेखण के लिए सुधार करना		दक्षिणः जिला पार्क और ताजपुर एवं मोलंड बंद एक्स. का आवासीय क्षेत्र पूर्वः आगरा नहर पश्चिमः मथुरा रोड
6.	राष्ट्रीय लघु उद्योग परिसर के विद्यमान औद्योगिक उपयोग के भाग के रूप में माँ आनंदमयी मार्ग स्थित 1.33 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	(जिला पार्क) र औद्योगिक'	उत्तर : विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र दक्षिण : मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) एवं विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र पूर्वः विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र एवं मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) पश्चिम : मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)
7.	लाडो सराय में 6.6 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन	'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से निम्नानुसार अन्य उपयोग : पाकेट-ए क्षेत्र : 0.77 हैक्टे. मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'आवासीय'	उत्तरं : पौधशाला पूर्व : पौधशाला दक्षिण : विद्यमान सड़क पश्चिम : अरबिन्दो मार्ग—60 मी. मार्गाधिकार
		पाकेट— बी क्षेत्रफल: 0.71 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक'एवं अर्ध—सार्वजनिक' (अस्पताल, पी एस—I) पाकेट—'डी' से 'जे' क्षेत्रफल: 0.68 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला	
		पार्क) से 'सार्वजनिक' एवं अर्ध सार्वजनिक'	दक्षिण : स्थानीय सुविधा केन्द्र पश्चिम :अरबिन्दो मार्ग – 60 मार्गाधिकार
		पाकेट – एल क्षेत्रफल : 2.0 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक एवं	उत्तर : लाडो सराय गांव एवं दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय का निर्मित क्षेत्र पूर्व : गांव की सड़क

	अर्ध सार्वजनिक' (पी.एस.—I, महाविद्यालय)	दक्षिण : लाडों सराय गांव का निर्मित क्षेत्र , पश्चिम : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र .
	पाकेट – के क्षेत्रफल : 0.90 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक'	उत्तर :लाडो सराय गाँव का निर्मित क्षेत्र पूर्व : बारात घर दक्षिण : महरौली–बदरपुर रोड़, 75 मीटर मार्गाधिकार पश्चिमः कच्ची सड़क
	पॉकेट — पी क्षेत्रफल : 0.59 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'आवासीय' (स्थानीय बाजार)	उत्तर : लाडो सराय गांव एवं पॉकेट 'जे' का निर्मित क्षेत्र पूर्व : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र दक्षिण : गांव की सड़क पश्चिम: महरौली रोड, 60मीटर मार्गाधिकार
	पॉकेट — एक्स क्षेत्रफल : 0.95 हैक्टेयर 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'आवासीय'	उत्तर : सुविधा बाजार पूर्वः लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र दक्षिणः लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र. पश्चिम : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र
8. सीरी फोर्ट परिसर के समीप 10.93 हैक्टेयर का क्षेत्र	'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक' (खेल परिसर)	उत्तरः सीरी फोर्ट रोड़ दक्षिणःसीरी फोर्ट खेल परिसर पश्चिमःसीरी फोर्ट सांस्थानिक क्षेत्र पूर्व : मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)

[फा. सं. के-12011/3 जोन-एफ/2010-डीडीआईबी] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

- S.O. 1358(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.1944(E) dated 10th August, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice. And
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority. And
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following areas in Zone 'F' is changed as per description listed below:-

SI. No.	Location	Change of Land Use	The site is Bounded by the following
1	2	3	4
1.	Change of land use of land measuring 0.39 ha. in Sector-10, R.K. Puram		South: CRPF Camp, Bal Basera & CNG Station. West: Vacant Land earmarked for Convenient Shopping Centre. East: 9 mtr. wide road North: 9 mtr. wide road.
2.	Change of land use of land measuring 12.99 ha. owned by All India Institute of Medical Sciences at Masjid Moth.	'Residential' to 'Public & Semi Public' (PS-I, Hospital)	North: 18.0 mts. wide Road South: Partly built up houses and partly 18.0 mts. wide road. East: Existing 18.0 mts. wide road. West: 18.0 mts. wide road. West: 18.0 mts. wide Road adjoining the Nallah.
3.	Change of land use of land measuring 4.19 ha. on NH-2 (Mathura Road) near Mollar Band.	'Residential' to 'Public & Semi Public' (PS-I, Hospital)	North: Residential & Railway Line South: Residential East: Residential West: NH-2 (Mathura Road)

4.	Change of land use of land measuring 1.0 ha. for Hospital in the Community Centre (Commercial) of Ambedkar Nagar.	'Commercial' to 'Public & Semi Public' (PS-I, Hospital)	North: Community Centre (Commercial) South: Existing Residential Area East: Redevelopment Area West: Existing Residential Area
5.	Modification in the 90 meter wide. Proposed road of MPD-2021, adjoining to Jaitpur Road, for its alignment on southern side of the existing NTPC Complex by widening existing Meethapur Road to 60 M. R/W.	'Utilities' (Power	Proposed 60 M. Road has following boundaries: North: Boundary of NTPC & residential area of Mollar Band South: District Park & Residential area of Tajpur & Mollar Bank Extn. East: Agra Canal West: Mathura Road
6.	Change of land use of land measuring 1.33 ha. located on Maa Anand Mai Marg, as part of the existing Industrial Use of National Small Scale Industry Complex.	'Recreational' Use (District Park) to 'Industrial'	North: Existing Industrial Area South: Recreational (District Park) & Existing Industrial Area. East: Existing Industrial area & Recreational (District Park). West: Recreational (District Park).
7.	Change of land use of land measuring 6.6 ha. at Lado Sarai	'Recreational' (Distt. Park) to Other uses as given below:- Pocket-A Area: 0.77 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Residential'	North: Plant Nursary East: Plant Nursary South: Existing Road West: Aurobindo Marg-60mt. R/W.

Pocket-B

Area: 0.71 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public' (Hospital, PS-I)

North: Village Road

East: Built up area of village Lado Sarai and Park South: Built up area of village

Lado Sarai

West: Aurobindo Marg-60mt. R/W.

Pocket 'D' to 'J'

Area: 0.68 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public'

North: Built up area of village Lado Sarai

East: Built up area of village Lado

Local

Sarai South:

Shopping Cetnre. **West:** Aurobindo Marg-60mt. R/W.

Pocket-L

Area: 2.0 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Pubic and Semi Public' (PS-I, College)

North: Built up area of village Lado Sarai & MCD Primary School East: Village Road South: Built up

South: Built up area of village Lado Sarai

West: Built up area of village Lado Sarai

Pocket-K

Area: 0.90 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to Public and Semi Public

North: Built up area of village Lado Sarai

East: Barat Ghar **South:** Mehrauli Badarpur Road 75

mt. R/W

West: Kacha Road

Pocket-P

Area: 0.59 ha. 'Recreational (Distt. Park) to 'Residential' (Local Shopping Centre).

North: Built up area of village Lado Sarai and Pocket-'J'

East: Built up area of village Lado

		Pocket-X Area: 0.95 ha. 'Recreational' (Distt. Park) to 'Residential'	Sarai South: Village Road West: Mehrauli Road 60 mt. R/W North: Convenient Shopping Cetnre East: Built up area of village Lado Sarai South: Built up area of village Lado Sarai West: Built up area of village
8.	Area 10.93 ha. near Siri Fort Complex	'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public' (Sports Complex)	North: Siri Fort Road South: Siri Fort Sports Complex West: Siri Fort Institutional Area East: Recreational (Distt. Park)

[F. No. K-12011/3 Zone-F/2010-DDIB] SUNIL KUMAR, Under Secy.